विधानसभा [illegible] प्रश्न क्र० - 986
'मान० सदस्य [illegible] प्रतापसिंह
सदन की बैठक [illegible] - 27.07.16

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - 'अ'

परिशिष्ट 'छप्पन'

[27/7/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 986]

पेज क्र० 1 से 2 तक

दिनांक 22.08.2008 को जबलपुर में आयोजित मछुआ पंचायत में की गई घोषणाओं का पालन प्रतिवेदन

1	घोषणाएं	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
1	मछुआ की परिभाषा में "वंशानुगत मछुआरों को प्राथमिकता दी जायेगी" ।	विभाग की नवीन मत्स्य पालन नीति के तहत् परिभाषा में वंशानुगत मछुआरों को प्राथमिकता दी गई है ।	पूर्ण
2	वर्तमान नीति में ग्रामीण तालाब/सिंचाई जलाशयों की पट्टा राशि में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि समाप्त की जायेगी ।	विभाग की नवीन मत्स्य पालन नीति में मंत्रिपरिषद से अनुमोदन पश्चात् 10 प्रतिशत की वृद्धि समाप्त कर दी गई है ।	पूर्ण
3	ग्रामीण तालाबों की पट्टा राशि रूपये 1000/- प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष से घटाकर ग्रामीण मौसमी तालाबों की पट्टा रूपये 300/- एवं ग्रामीण बारहमासी तालाबों की पट्टा राशि रूपये 500/- एवं सिंचाई जलाशयों में 10 से 50 हैक्टेयर तक जलाशय की पट्टा राशि रूपये 200/-, 50 से 200 हैक्टेयर तक के जलाशयों की पट्टा राशि रूपये 150/- एवं 200 से 1000 हैक्टेयर तक जलाशयों की पट्टा राशि रूपये 75/-प्रति हैक्टेयर कर दी जावे ।	विभाग की नवीन मत्स्य पालन नीति में मंत्रिपरिषद से अनुमोदन पश्चात् पट्टा राशि घटा दी गई है ।	पूर्ण
4	प्राकृतिक आपदा के समय उस वर्ष की पट्टा राशि माफ करने का प्रावधान किया जावे ।	विभाग की नवीन मत्स्य पालन नीति में इसका प्रावधान कर दिया गया है ।	पूर्ण
5	सिंचाई जलाशयों की पट्टा अविध को 7 वर्ष से बढाकर 10 वर्ष किया जावे ।	विभाग की नवीन मत्स्य पालन नीति में इसको शामिल कर लिया गया है ।	पूर्ण
6	सभी ग्रामीण तालाबों / सिंचाई जलाशयों को मछली पालन हेतु पट्टे पर अनुबंध निष्पादन के दौरान लगने वाले स्टाम्प शुल्क में छूट का प्रावधान रखा जावे, जबकि पूर्व में यह छूट केवल मछुआ सहकारी समितियों को ही प्राप्त थी	विभाग की नवीन मत्स्य पालन नीति में इसका प्रावधान किया गया।	पूर्ण
7	तालाब/जलाशयों से प्राप्त पट्टा राजस्व राशि का उपयोग मत्स्योद्योग विकास एवं मछुओं के कल्याणार्थ किया जावेगा ।	पंचायतों द्वारा इस संबंध में कार्यवाही का प्रावधान नवीन मत्स्य पालन नीति में किया गया ।	पूर्ण

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
मंत्रालय

1	घोषणाएं	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
8	प्रदेश के सभी जलक्षेत्रों में एक समान मत्स्य पालन नीति का पालन किया जावेगा ।	विभाग की नवीन मत्स्य पालन नीति में एक समान नीति का प्रावधान किया गया है ।	पूर्ण
9	प्रदेश की नदियों में निःशुल्क मत्स्य बीज संचयन किया जावेगा	विभाग की नवीन मत्स्य पालन नीति में इसका प्रावधान किया गया ।	पूर्ण
10	किसानों के समान मछुआरों को भी 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सहकारी बैंक से अल्पकालीन ऋण दिया जावेगा ।	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत् बैंकों में अंतर की राशि में ब्याज अनुदान हेतु धनराशि रू0 20.00 लाख का प्रावधान किया जा चुका है ।	पूर्ण
11	मत्स्य पालन कार्य में संलग्न मछुआरों के परिचय पत्र बनाये जावेंगे ।	विभाग की नवीन मत्स्य पालन नीति में इसका प्रावधान किय गया है जिलों को पत्र क्रमांक 2355 दिनांक 15–10–2009 से निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।	पूर्ण
12	विस्थापितों को मछली पालन कार्य में प्राथमिकता दी जावेगी ।	विभाग की नवीन मत्स्य पालन नीति में इसका प्रावधान कर दिया गया ।	पूर्ण
13	निशादराज मंगल भवन बनाये जावेंगे। (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से)	मछली पालन विभाग के प्रस्ताव क्रमांक 16–01/2010/36 दिनांक 29/07/2011 के तारतम्य में संचालक ग्रामीण रोजगार विभाग द्वारा दिए निर्देशों के अनुसार बी.आर.जी.एफ. योजना अंतर्गत निषादराज मंगल भवन बनाए जाने का कार्य जिला योजना समिति के अनुमोदन के उपरांत कार्य योजना में सम्मिलित किया जा सकता है जिला योजना समिति से अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप भारत शासन से प्रावधानित राशि प्राप्त होने पर जिलों को राशि हस्तांतरित करने का प्रावधान है । संचालक ग्रामीण रोजगार विभाग से प्राप्त उक्त निर्देश मछली पालन विभाग के पत्र क्रमांक 548 दिनांक 04/05/12 से सभी कलेक्टर एवं मत्स्योद्योग विभाग के सभी जिला अधिकारियों को कार्यवाही हेतु भेजे गए हैं ।	पूर्ण
14	निशादराज जयंती पर ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जावेगा । (सामान्य प्रशासन विभाग)	मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 31 मार्च निशादराज जयंती पर ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया है ।	पूर्ण

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
मंत्रालय

Deputy Director of Fisheries
Directorate of Fisheries
M.P. BHOPAL

विधान सभा प्रश्न क्रमांक- 986 (अतारांकित)
माननीय सदस्य का नाम - श्री प्रताप सिंह
सदन की बैठक का दिनांक - 27.07.16

परिशिष्ट- ब

माननीय मुख्य मंत्री की घोषणाओं के अंतर्गत निर्मित निषादराज मंगल भवन/ कैशव कुटी की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	स्थान का नाम जहाँ निषादराज मंगल भवन/ कैशव कुटी निर्मित की गई है			कुल लागत रूपये लाख में	पूर्ण /अपूर्ण	रिमार्क
		क्र.	स्थान का नाम	संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिंगरोली	1	सिंगरोली	1	19.98	पूर्ण	
2	टीकमगढ़	1	टीकमगढ़	1	18.00	पूर्ण	
		2	जतारा	1	18.00	पूर्ण	
		3	पलेरा	1	18.00	पूर्ण	
3	जबलपुर	1	छतरपुर	1	2.75	पूर्ण	
		2	जबलपुर	1	2.40	पूर्ण	
4	श्योपुर	1	श्योपुर	1	64.30	पूर्ण	
5	धार	1	सुंदरेल	1	19.46	पूर्ण	
6	बड़वानी	1	पलसूद	1	18.00	पूर्ण	
		2	राजपुर	1	17.00	पूर्ण	
		3	अंजड़	1	16.00	पूर्ण	
7	खण्डवा	1	ओंकारेशवर	1	18.00	पूर्ण	
8	बुरहानपुर	1	शिकारपुरा	1	27.00	पूर्ण	
		2	हथनूर	1	27.00	पूर्ण	
	योग	14			285.89		

सहायक संचालक मत्स्योद्योग (सहकारिता)
मध्य प्रदेश

Deputy Director of Fisheries
Directorate of Fisheries
M.P. BHOPAL

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
मंत्रालय